

18-12-17

अमिलेख उपस्थापित । प्रथम पत्र  
अनुपलब्ध द्वितीय पत्र क्रमांक १।०५  
उपलब्ध अन्य सभी अधिवक्ता एजेंसी )  
अवत वाद में ६ ( छः ) माह की अवधि  
छपी हो चुकी है अर्थात् वाद कालबाधित  
ही गया है । अतः वाद में अमिलेख की  
कारवाही बन्द की जाती है ।

18/12/17